MRATERIA VISIUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5591

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935

No. 5591

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 654(अ).—जहां कि आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11छ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग, के तहत् प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना का.आ. 5(अ), दिनांक 2 जनवरी, 1992, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 2 जनवरी, 1992 को प्रकाशित किया गया था तथा जिसमें अधिसूचना सं. का.आ. 926(अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 1994, अधिसूचना सं. का.आ. 892(अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 1997; अधिसूचना सं. का.आ. 444(अ), दिनांक 21 मई, 2001; अधिसूचना सं. का.आ. 1258(अ), दिनांक 9 नवम्बर, 2004; अधिसूचना सं. 227(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2008 तथा अधिसूचना सं. 218(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2011 के द्वारा संशोधन किया गया है, के तहत् राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण प्रोन्नयन समिति का गठन किया था।

और जहां कि, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11छ के उप-नियम (1) के तहत् उपर्युक्त अधिसूचनाओं के द्वारा, केन्द्र सरकार ने 14 व्यक्तियों को उक्त समिति का अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किया था;

और जहां कि उक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 31 जनवरी, 2014 को समाप्त हो गया है;

अत: अब, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11छ के उप-नियम (1) और (3) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कम के तहत् प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना की तारीख से लेकर 3 वर्ष की अविध तक के लिए राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण प्रोन्नयन समिति का अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त करती है।

1.	न्यायाधीश आर. सी. लाहोटी	भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश	अध्यक्ष
2.	श्री अमरदीप सिंह चीमा	उपाध्यक्ष, नेहरू युवा केन्द्र संगठन विविध	सदस्य
3.	श्री अमिय कुमार शर्मा	कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, गुवाहाटी	446
4.	श्री बलदेव चौधरी	भूतपूर्व अध्यक्ष, यू.पी. कांग्रेस कमेटी एससी/एसटी सेल	सदस्य
5.	श्रीमती चेतना सिन्हा	व्यष्टि वित्त और महिला उद्यमिता	सदस्य
6.	श्री डी. आर. मेहता	पद्मभूषण और सेवानिवृत्त सिविल सेवक	सदस्य
7.	श्री एनरिको पाईपर्नो	टेनिस खिलाड़ी और कोच	सदस्य
8.	अबीब ए फाकिह	स्थानीय स्वशासन और लोक प्रशासन विशेषज्ञ तथा	सदस्य
		भूतपूर्व सदस्य, केन्द्रीय वक्फ बोर्ड	
9.	प्रो. नलाडी सामूयेलू	प्राचार्य, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	सदस्

978 GI/2014

MARCH CONTINUENT OF PERSONS REES ROOM

10.	डॉ. नरेश गुप्ता	निदेशक (प्रो. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल)	सदस्य
	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	चार्टर्ड एकाउंटेंट	सदस्य
12.	श्रीमती शमीमा रैना	सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
13.	श्रीमती शशीकला वामानन	शिक्षाविद्	सदस्य
14.	श्री विनायक लोहानी	सामाजिक उद्यमी तथा परिवार के संस्थापक	सदस्य

[सं. 1/2014/फा. सं. वी-27013/1/2014-एसओ (नेट.कॉम.)]

एम. एल. मीणा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S.O. 654(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with Rule 11G of the Income Tax Rules, 1962, the Central Government constituted the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 5(E), dated the 2nd January, 1992 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (ii) dated the 2nd January, 1992 as amended by notification numbers S.O.926(E), dated the 22nd December, 1994, notification number S.O. 892(E), dated the 23rd December, 1997; notification number S.O. 444(E), dated the 21st May, 2001; notification number S.O. 1258(E), dated the 9th November, 2004; notification number 227(E), dated the 1st February, 2008 and notification number 218(E), dated the 1st February, 2011.

And whereas, in terms of sub-rule (1) of Rule 11G of the Income Tax Rules, 1962, by the aforesaid notification, fourteen persons were appointed by the Central Government as Chairman and members of the said Committee;

And whereas, the term of the Chairman and Members of the aforesaid Committee ended on 31st January, 2014.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 35AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) read with sub-rules (1) and (3) of Rule 11G of the Income Tax Rules, 1962, the Central Government hereby appoints the following persons as Chairman and Members of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare for a period of three years commencing on the date of this notification.

1.	Justice R. C. Lahoti	Former Chief Justice of India	Chairman
2.	Sh. Amardeep Singh Cheema	Vice Chairman, Nehru Yuva Kendra Sangthan	Member
3.	Shri Amiya Kumar Sharma	Executive Director, Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN), Guwahati	Member
4.	Shri Baldev Chowdhary	Ex-Chairman, UP Congress Committee SC/ST Cell	Member
5.	Smt. Chetna Sinha	Micro Finance and Women Entrepreneurship	Member
6.	Shri D. R. Mehta	Padam Bhushan and Retired Civil Servant	Member
7.	Shri Enrico Piperno	Tennis Player and Coach	Member
8.	Shri Habib A Fakih	Specialist in Local Self Government and Public Administration and Ex. Member, Central Wakf Board	Member
9.	Prof. Naladi Samuyelu	Professor, Mahatma Gandhi College, Guntur	Member
10.	Dr. Naresh Gupta	Director (Prof.) Maulana Azad Medical College and associated hospital	Member
11.	Shri Sanjeev Kumar Arora	Chartered Accountant	Member
12.	Smt. Shameema Raina	Social Worker	Member
13.	Smt. Shashikala Vamanan	Educationist	Member
14.	Shri Vinayak Lohani	Social Entrepreneur and Founder of Parivaar	Member
espite.		[No. 1/2014/F. No.V. 27013/1/2014-SO (N	AT. COM.)]
		M. L. MEENA, Dy. Secy. (National	Committee)